न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–01/2024 दायर दिनांकः 15.3.2024
GCMS NO:- 2024/47 पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती प्रीति मीणा

1. अनिता पुत्री रामदेव जाति माली नि0 रजलावता तहसील नैनवॉ।
2. मनीषा पुत्री स्व. रामदेव जाति माली नि0 रजलावता तहसील नैनवॉ।
3. केसर बेवा रामदेव जाति माली नि0 रजलावता तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण

बनाम

भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीया की ओर से वकील श्री शांतिलाल मीणा।

निर्णय दिनांक 30.05.2025

–निर्णय–

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रजलावता के खसरा नम्बर 550, 553, 650, 941 एवं खसरा नम्बर 554 के खातेदार प्रार्थीगण है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम अनिता व प्रार्थीया संख्या 2 का नाम मनीषा है परन्तु प्रार्थीगण के पिता रामदेव का फौती इन्तकाल खुला तो उसमे सदभावना पूर्वक भूलवश के कारण प्रार्थी संख्या 1 अनिता के स्थान पर अमित व प्रार्थी संख्या 2 मनीषा के स्थान पर मनीष जमाबन्दी मे दर्ज हो गया। तथा जमाबन्दी मे दर्ज हेमा है उसका नाम भी हंसा है जिसकी मृत्यु दिनांक 26.8.2019 को हो चुकी है। जबकि अमित, मनीष आ0 रामदेव नाम का कोई दुसरी लडकी नही है उक्त जमाबन्दी मे लडकियों की जगह लडकों के नाम कर दिये है जो गलत है। प्रार्थीगण के स्कूल की अंकतालिका, आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों मे अनिता पुत्री रामदेव व मनीषा पुत्री रामदेव ही दर्ज है। जमाबन्दी मे अमित व मनीष नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगणों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने व अन्य सरकारी प्रशासनिक कार्यो मे भारीअ डचन पैदा हो रही है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है अतः प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित जमाबन्दी व राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज अमित व मनीष नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम अनिता व मनीषा नाम दर्ज किया जावे एवं हेमा उर्फ हंसा बाई का नाम जमाबन्दी से विलोपित किया जावे तथा अप्रार्थी अनिता व मनीषा नाबालिग के नोट को हटवाकर बालिग दर्ज करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवां ने पत्रांक/भु0अ0/25/2369 दिनांक 21.5.2025 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर बताया कि ग्राम रजलावता के विरासत नामान्तरकरण संख्या 612 दिनांक 29.10.2001 के अनुसार ही उक्त तीनों खातेदारान के नाम जमाबन्दी मे दर्ज हुए है। प्रार्थीगण नाम संशोधन हेतु नामान्तरकरण संख्या 612 की अपील सक्षम न्यायालय मे कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित जमावन्दी व राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज अमित व मनीष नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम अनिता व मनीषा नाम दर्ज किया जावे एवं हेमा उर्फ हंसा बाई का नाम जमाबन्दी से विलोपित किया जावे तथा अप्रार्थी अनिता व मनीषा नाबालिग के नोट को हटवाकर बालिग दर्ज करवाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया तथा पाया कि प्रार्थीगण फोती नामान्तरकरण मे गलत दर्ज हुए नामों का संशोधन करवाना चाहते है, उक्त नामान्तरकरण संख्या 612 की अपील साक्षम न्यायालय मे की जाकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ